संख्या– 309 /18–4–10–1(बजट)/07

प्रेषक;

राम किशोर,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी,2010

विषय–क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत 07 क्लस्टरों के साफ्ट इन्टरवेंशन हेतु राज्यांश-की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशक के पत्र संख्या–1500/18–ल0उ0/2009–10, दिनांक 10.11.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत निम्नलिखित 07 क्लस्टरों के साफ्ट इन्टरवेंशन हेतु राज्यांश रू0 5,18,000.00 (पांच लाख अठारह हजार मात्र) की भारत सरकार के अंकित आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:–

धनराशि रू0 लाख में।

क्र	क्लस्टर का नाम	केन्द्रांश	राज्यांश	टोटल कास्ट	भारत सरकार के आदेश एवं दिनांक
1.	वूलेन दरी क्लस्टर, जौनपुर।	6.70.	0.75	7.45	15(8)सी0डी0डी0/दरी/जौनपुर साफ्ट/09, दिनांक 25.11.2009
2.	फैन क्लस्टर वाराणसी ।	6.48	0.72	7.20	15(8)सी0डी0डी0/फैन/वाराणसी/साफ्ट 09, दिनांक 25.11.2009
3.	सिल्क ब्रोकेड क्लस्टर वाराणसी।	6.48	0.72	7.20	15(8)सी0डी0डी0/सिल्कब्रोकेड वाराणसी /साफ्ट/09, दिनांक 25.11.2009
4.	जूट वाल हैगिंग क्लस्टर गाजीपुर।	7.11	0.79	7.90	15(8)सी0डी0डी0/जूटवाल गाजीपुर/साफ्ट /09, दिनांक 25.11.2009
5.	स्टील फर्नीचर क्लस्टर लखनऊ ।	7.00	0.80	7.80	15(8)सी0डी0डी0/स्टील फर्नीचर लखनऊ /साफ्ट/09, दिनांक 25.11.2009
6.	चिकन इम्ब्राइडरी, क्लस्टर बाराबंकी।	5.40	0.60	6.00	15(8)सी0डी0डी0/चिकन बाराबंकी/साफ्ट /09, दिनांक 25.11.2009
7.	टैक्सटाइल प्रिंटिंग क्लस्टर. गाजियाबाद।	7.00	0.80	7.80	15(8)सी0डी0डी0/टैक्सटाइल प्रिन्टिग/साफ्ट /09. दिनांक 25.11.2009
	कुल योग	46.17	5.18	51.35	

2. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि के लेखों की सम्परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा–1), उ0प्र0 इलाहाबाद व भारत के नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षा भारत सरकार नई दिल्ली के सम्परीक्षणाधीन होगी।

3. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जाय। उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी । किसी भी दशा में शासन की अनुमति से पूर्व स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के कियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

2/.....

4. योजना का कार्यान्वयन एवं इस सम्बंध में व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–490/दस–09–231/2009, दिनांक 20 मार्च, 2009 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सुनिश्चित कराने हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी–एम–13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

6. प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)–1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक ——— माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7. उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–3 आयोजनागत के लेखा शीर्षक–"2851 ग्राम तथा लघु उद्योग–102–लघु उद्योग–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये–03–लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना–27–सब्सिडी" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–ई–739/दस–2009 दिनांक 20.1.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम किशोर)
अनु सचिव।

संख्या– 309(1) /18–4–09–1(बजट)/07 तद्दिनांक। 25-1-10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
2. उप निदेशक (सी0डी0) कार्यालय विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार (लेखा परीक्षा–।) सी0ए0एस0एस0–3/टी0डी0ए0 कोऑर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5. कोषाधिकारी, कानपुर।
6. वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 निर्यात निगम लि0, लखनऊ।
9. संयुक्त निदेशक उद्योग वाराणसी एवं संयुक्त निर्यात आयुक्त, नि0प्रो0ब्यूरो।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6 वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 नियोजन अनुभाग–4 लघु उद्योग अनुभाग–3
11. मार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव।